आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

नामांतरण अपील वाद सं0 11/2018–19

सुरेश पासवान प्रति निलम देवी वगैरह

आदेश

15.03.2022 अभिलेख उपस्थापित। प्रस्तुत वाद आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अंचल अधिकारी, भवनाथपुर के नामांतरण वाद सं0 447/2014–15 में दिनांक 29.01.2015 को पारित आदेश के विरूद्व अपील वाद दायर किया गया। तद्नुसार उभय पक्ष को नोटिस निर्गत किया गया तथा अंचल अधिकारी से मूल अभिलेख की मांग की गई। उभय पक्ष अपने–अपने विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा उपस्थित होकर अपना प्रत्युतर दाखिल किया गया। अंचल अधिकारी से मूल अभिलेख प्राप्त हुआ।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत अपील वाद नामांतरण वाद संख्या 447/2014–15 के दिनांक 29.01.2015 को अंचल अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया जा रहा है जो ग्राम बंसानी के खाता सं0 01 प्लौट सं0 1922 रकबा 0.50 एकड़ भूमि है। वास्तविकता यह है कि प्रश्नगत् भूमि स्व0 बुद्धिनारायण सिंह की थी, अपीलार्थी उनके यहॉ बराहील का काम करते थे उसके एवज में रूपया लेकर अपीलार्थी को यह भूमि देकर मकान बनवा दिए जिसमें अपीलार्थी सपरिवार रहते है। स्व0 बुद्धिनारायण सिंह के पुत्र अपने पिता के मृत्यु के पश्चात् उक्त भूमि का केवाला भी करने को तैयार थे एवम् केवाला लिखवाकर दाखिल किए तो पता चला कि उक्त भूमि का गलत तरीके से प्रत्यर्थी ने शमा सिंह से केवाला कराकर नामांतरण करा लिए जिसके चलते केवाला अभी लंबित है। निबंधन पदाधिकारी ने अंचल अधिकारी से जॉच प्रतिवेदन की मॉग किए थे जॉच प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी ने प्रतिवेदित किया है कि प्रश्नगत् भूमि अपीलार्थी के दखल कब्जा में है। उसमें काफी पुराना मकान है जिसमें अपीलार्थी सपरिवार रहते है। हल्का कर्मचारी, अंचल निरीक्षक, अंचल अधिकारी ने बिना स्थल जॉच में अपीलार्थी के मेल में आकर गलत तरीके से नामांतरण वाद संख्या 447/2014–15 में दिनांक 29.01.2015 ई0 को पारित आदेश के विरूद्ध निम्नांकित आधार पर अपील दायर कर रहे है। अपील समय सीमा के अन्दर है, इसमें बिलम्ब समझते है तो बिलम्ब को दूर करने हेतु लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत् आवेदन पत्र दिया जा गया है। हल्का कर्मचारी अंचल निरीक्षक ने बिना स्थल जॉच के गलत प्रतिवेदन समर्पित कर दिया जिसमें आधार मानकर अंचल अधिकारी ने नामांतरण स्वीकृत कर दिया जो अनुचित

लगातार .....

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

है। स्थल निरीक्षण किया गया होता तो इसमें अपीलार्थी का मकान पाया जाता एवं नामांतरण नहीं होता क्योंकि नामांतरण हेतु दखल कब्जा आवश्यक है। अभिलेख दिनांक 12.01.2015 को कायम हुआ तथा जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई जॉच प्रतिवेदन में कोई तिथि अंकित नहीं है। आम इस्तेहार का तामिला भी विधिवत् नहीं कराया गया है। अंचल अधिकारी भवनाथपुर द्वारा नामांतरण वाद संख्या 447/2015–15 में दिनांक 29.01.2015 के पारित आदेश को खारिज किया जाए।

प्रत्यर्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि केवाला द्वारा प्राप्त भूमि का मांग चल रहा है। जिसमें अपीलार्थी गलत ढंग से उक्त भूमि को केवाला कराने जाने पर निबंधन कार्यालय रोक दिया गया। अपीलार्थी बिलकुल परेशान करने के नियत से झुठा एवं मनगड़त अपील आवेदन पत्र तैयार कराकर वाद संस्थापित कराये है जो वाद बिलकुल चलने योग्य नहीं है। क्योंकि अपीलार्थी के पास वाद की भूमि का कोई भी कागजात नहीं है। जिससे अपीलार्थी का दावा सरासर गलत है। ग्राम बनसानी में प्रत्यर्थी क्रमांक सं0 1 को केवाला सं0 2295/2297 दिनांक 19.12.2013ई0 से भूमि प्राप्त है। भूमि का विवरण निम्नवत है।

खाता सं0	प्लौट सं0	रकबा	चौहदी
1	1922	0.50	उ0 प्लौट नं0 1816 द0 प्लौट 1924 पू0 प्लौट 1932 प0 प्लौट 1920
21	2113	0.15	उ0 प्लौट नं0 2108 द0 प्लौट 2105 पू0 प्लौट नं0 2109 प0 प्लौट 2113
31	2102	0.10	उ0 बॉघ द0 प्लौट 2102 पू0 प्लौट नं0 2104 प0 प्लौट 2105

कुल रकबा 0.75 एकड़ उक्त भूमि का अंचल कार्यालय भवनाथपुर द्वारा नियमानुसार दाखिल खारिज कराकर शांतिपूर्ण ढंग से दखल कब्जा में है। अपीलार्थी द्वारा नामांतरण वाद संख्या 447/2014–15 के विरूद्ध सरासर गलत अपील दायर किया गया है, जो सरासर गलत है। अपीलार्थी के वाद की भूमि की चौहदी में भी नहीं आते है। इसलिए उक्त वाद को तत्काल खारिज करके उक्त नामांतरण वाद को कायम रखा जाय। पूर्व में प्रत्यर्थी द्वारा विविध वाद सं0 859/2017, विविध वाद सं0 238/2021 तथा विविध वाद सं0 590/2021 धारा 144 द.प्र.सं. दायर किया गया था। जिसमें अपीलार्थी की गलत व्यवहार/उदण्ड स्वभाव तथा असामाजिक संगठन के

लगातार .....

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहि
1	2	3

कारण वाद संस्थापित कराया था। जो बिलकुल ही विधि सम्मत रहा है। इस आधार पर वाद नामांतरण अपील खारिज योग्य है। उपरोक्त वाद की भूमि का मांग श्री मान् अनुमण्डल दण्डाधिकारी महोदय द्वारा अंचल अधिकारी, भवनाथपुर से पत्रांक 374 दिनांक 27.07.2018 द्वारा प्रेषित किया गया था जिसमें पूर्ण कागजी प्रमाण प्रत्यर्थी सं0 1 निलम देवी का माना गया है। जहॉ पर अपीलार्थी द्वितीय पक्षकारगण के रूप में उपस्थित थे। उसमें द्वितीय पक्षकार गण का कोई कागजात वाद में दायर नहीं किया गया है जिससे प्रमाणित होता है कि अपीलार्थी अपील बिलकुल निरर्थक दायर किया गया है। जो किसी भी दृष्टि से चलने योग्य नहीं है। जिससे उक्त वाद का नामांतरण कायम रखते हुए अपील आवेदन पत्र को तत्काल खारिज किया जाय। प्रत्यर्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा दी गई साक्ष्य निम्न प्रकार है :–

1. *केवाला सं0 2295 दिनांक 23.12.2013 की छायाप्रति* ..... ***11 फर्द***
2. *मांगपंजी 2 का छायाप्रति* ..... ***1 फर्द***
3. *लगान रसीद की छायाप्रति* ..... ***1 फर्द***

इस न्यायालय के पत्रांक 51/रा0 दिनांक 20.07.2021 से अंचल अधिकारी, भवनाथपुर से प्रश्नगत् भूमि का स्थल जाँच हेतु प्रतिवेदन की मांग की गई। इस पत्र के आलोक में अंचल अधिकारी, भवनाथपुर का पत्रांक 204 दिनांक 03.08.2021 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अपीलार्थी सुरेश पासवान पिता स्व0 घुटुर पासवान ग्राम बनसानी थाना भवनाथपुर का मौजा बनसानी हाल सर्वे खाता सं0 1, 21,31 प्लौट सं0 1922, 2113, 2103 रकबा 0.50, 0.15, 0.10 एकड़ भूमि पर विगत 40 वर्षो से दखल कब्जा एवं घर अवस्थित है, जिसमें सपरिवार निवास करते है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं की ओर से दाखिल साक्ष्य दस्तावेज एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। अवलोकनोपरान्त पाया कि बिक्रेता शमा सिंह पति स्व0 विजय प्रताप नारायण सिंह से केवाला सं0 2295 दिनांक 23.12.2013 से क्रेता निलम देवी पति विनोद कुमार ने मौजा बनसानी खाता सं0 1, 21, 31 प्लौट सं0 1922, 2113, 2102 रकबा 0.50, 0.15, 0.10 कुल रकबा 0.75 एकड़ भूमि खरीद किये है। अपीलार्थी के द्वारा दो प्लौट सं0 2113, 2102 रकबा 0.15, 0.10 एकड़ भूमि छोड़कर केवल एक ही प्लौट सं0 1922 रकबा 0.50एकड़ भूमि पर अपील वाद दायर किया है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपील वाद की भूमि से संबंधित कोई भी वैधानिक, साक्ष्य, कागजात न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे अपीलार्थी का दावा प्रश्नगत भूमि पर साबित हो सकें। अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन में भी प्रश्नगत भूमि का दावा या दखल कब्जा का स्पष्ट मंत्यव्य नहीं है क्योंकि प्रतिवेदन में केवाला में दर्ज तीनों प्लौट पर अपीलार्थी का दखल कब्जा पुष्टि किया गया है।

लगातार .....

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई के संबंध में टिप्पणी तारीख
1	2	3

अतः अपीलार्थी के अपील आवेदन को अस्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी, भवनाथपुर के द्वारा नामांतरण वाद सं0 447/2014–15 में दिनांक 29.01.2015 को पारित आदेश को यथावत बहाल रखा जाता है। इस आशय के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

15/11

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
श्री बंशीधर नगर।

15/11

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
श्री बंशीधर नगर।

Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2023.03.15 10:59:23 +05:30
Location: 192.168.1.41

Scanned with CamScanner